अध्याय – प्रथम

शोध विषय की परिचय

1.1 प्रस्तावना

1.2 जनजाति का अर्थ एवं परिभाषाएँ

1.3 बैगा–जनजाति की विशेषताएँ

1.4 जिला–डिण्डौरी में आदिम–जनजाति बैगा

1.5 आदिम–जनजाति बैगा का सामाजिक जीवन

1.6 आदिवासी के लिए संवैधानिक प्रावधान

1.7 कोठारी कमीशन (1964–66) में आदिवासी शिक्षा

1.8 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में आदिवासी शिक्षा

1.9 जनजातियों से संबंधित मध्यप्रदेश शासन की विभिन्न विकास योजनाएँ

1.10 आदिम–जनजाति बैगा की वर्तमान शैक्षिक स्थिति

1.11 शोध कथन

1.12 शोध प्रश्न

1.13 शोध उद्देश्य

1.14 शोध अध्ययन की आवश्यकता

1.15 शोध समस्या का सीमांकन

अध्याय–प्रथम

शोध विषय की परिचय

1.1 प्रस्तावना :–

भारत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग शहरी एवं ग्रामीण सभ्यता से दूर जंगलों, पर्वतों, घाटियों तथा दुर्गम स्थानों में निवासित हैं। जिसकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीति स्थिति आज भी अन्य विकसित समुदायों की तुलना में अत्यंत पिछड़ी हुई हैं। इस समुदाय को **'आदिवासी,'** **'वनवासी'** तथा **'वनपुत्र'** तथा संवैधानिक शब्दावली में **'अनुसूचित – जनजाति'** के नाम से जाना जाता हैं।

2001 की जनसंख्या के अनुसार "संपूर्ण भारत में 8,43,26,248 आदिवासी जनसंख्या हैं। जो कि कुल जनसंख्या का 82 प्रतिशत हैं। संपूर्ण भारत में **425 जनजातीय समूह** हैं इनमें से 75 **को विशेष पिछड़ी जनजातियों** की श्रेणी में रखा गया है।"[1]

जबकि 2001 की जनसंख्या के अनुसार "मध्यप्रदेश की कुल जनसंख्या 6,03,48,023 हैं। जिसमें 1,22,23,474 अनुसूचित–जनजाति का जो प्रदेश की कुल अनुसूचित–जनजाति का 20.3 प्रतिशत हैं, एवं **डिण्डौरी जिला की जनसंख्या ग्राम पंचायत 2001 के अनुसार 5,82,730 हैं।** जिसमें पुरूषों की जनसंख्या 2,91,716 हैं जो कुल जनसंख्या का 50.27 प्रतिशत हैं तथा महिलाओं की जनसंख्या 2,89,014 है जो कुल जनसंख्या का 49.73 प्रतिशत हैं, इसमें अनुसूचित–जनजाति की जनसंख्या 64.48 प्रतिशत है।

शोधार्थी के शोध अध्ययन क्षेत्र डिण्डौरी जिला का विकासखण्ड समनापुर की जनसंख्या 4,259 हैं जिसमें पुरूष जनसंख्या 2,133 एवं

---

1. कुरूक्षेत्र, अगस्त 2008, पेज–17

महिलाओं की जनसंख्या 2,126 हैं जिसमें शिक्षित बैगा जनसंख्या मात्र 140 हैं जो इनकी शिक्षा के प्रति उदासीनता का सूचक हैं।[2]

चूँकि इन जनजातियों की अपनी विशिष्ट संस्कृति कला, रीति–रिवाज, धर्म परंपराये, भोजन, आवास, भाषा, साहित्य चिकित्सा–पद्यति, मृतक–संस्कार आदि हैं अतः इस दृष्टि से मध्य–प्रदेश भारत का सबसे बड़ा जनजातिय समूह है।

मध्यप्रदेश में छत्तीसगढ़ सहित 46 अनुसूचित जनजातियों की पहचान की गई हैं जिसमें **गोंड** सबसे बड़ी जनजाति हैं। इसके आलावा **बैगा***, अगरिया, सहारिया, पहाड़ी कोरबा, भारिया, बिरहोर, आबूझमाडिया आदि को **'विशेष पिछड़ी जनजातियों'** की श्रेणी में रखा गया है।[3] **'दी शेड्यूल एरिया एण्ड ट्राईबल कमीशन'** ने इन जनजातियों को चार वर्गों में बांटा है, इसमें से संबसे अविकसित जनजातियों के क्षेत्र को **'शेड्यूल एरिया'** या **'अनुसूचित–क्षेत्र'** कहा जाता हैं।

मध्यप्रदेश में **सात विशेष पिछड़ी जनजातियाँ** हैं इनका रहन–सहन, खानपान स्थिति, शिक्षा का प्रतिशत, जनजातियों के प्रादेशिक औसत से कम है। इसका प्रमुख कारण आधुनिक–शिक्षा–प्रणाली के प्रति उदासीनता एवं पैतृक–शिक्षा (धर्नुरविद्या, चिकित्सा पद्यति) के प्रति अपनत्व की भावना तथा जागरूकता का आभाव हैं। इस कारण भारत–सरकार ने इन्हें विशेष जनजातियों के उपवर्ग में रखा गया हैं एवं बैगा आदिम–जनजाति को **राष्ट्रीय मानव** घोषित गया हैं। ये उपवर्ग निम्नलिखित हैं।[4]

---

2. बैगा विकास प्राधिकरण, डिंडौरी जिला, मध्यप्रदेश

3. वर्मा, सूर्या (2008). लघुशोध प्रबंध "बैगा–जनजाति की भौगोलिक स्थिति एवं वनसंसाधन उपयोगिता का अध्ययन" (डिंडौरी जिला के विशेष संदर्भ में), बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, महूँ (इन्दौर) म.प्र.

4. शर्मा, शिवकुमार (2008). शोधप्रबंध "मध्यप्रदेश की बैगा–जनजाति की सामाजिक, सांस्कृतिक, परिस्थितीय परिवर्तन एवं सामंजस्य की समस्याएँ", बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, महूँ (इन्दौर) म.प्र.

तालिका–1.0

मध्यप्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति एवं निवास क्षेत्र

क्र.	विशेष पिछड़ी जनजाति	मुख्य निवास क्षेत्र
1.	बैगा*	बैगाचक, डिण्डौरी जिला, मंडला जिला,
2.	भरिया	पातालकोट क्षेत्र, छिंदवाड़ा जिला
3.	कोरबा	हिलकोरवा
4.	कमार	मुख्यरूप से रायपुर
5.	आबूझमाड़िया	बस्तर जिला
6.	बिरहोर	छत्तीसगढ़

स्त्रोतः शोधप्रबंध "मध्यप्रदेश की बैगा जनजाति की सामाजिक, सांस्कृतिक पारिस्थिकीय परिवर्तन एवं सामंजस्य की समस्याएं", 2002

अतः पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भी आदिवासियों के विकास हेतु कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किये जो निम्नलिखित हैः–

1. जनजातियों को अपनी प्रतिभा के अनुरूप विकसित होने देना चाहिये उन पर कुछ भी थोपना नहीं चाहिये। हमें उनकी संस्कृति को प्रोत्साहित करने का प्रयत्न करना चाहिये।
2. हमें प्रशासन एवं विकास कार्यो के लिए स्वयं के लोगों के दलों को प्रशिक्षित एवं तैयार करना चाहिये। प्रारंभ में निश्चित ही कुछ कार्यकर्ता बाहर से लेने होगे लेकिन जनजातीय क्षेत्रों में बाहर के लोगों के प्रवेश से बचना चाहिये।
3. जनजाति के समूहों के कृषि, भूमि, वन, शिक्षा संबंधी अधिकारों का ध्यान रखना चाहिये।
4. अज्ञान, शोषण, गरीबी और पिछड़ापन का मुख्य रूप से कारण अशिक्षित, होना हैं अतः शिक्षा ही एकमात्र साधन हैं, जिसके द्वारा अनुसूचित जनजाति की उन्नति संभव हैं। शिक्षा के द्वारा ही हमें इनमें आत्मसम्मान, आत्मविश्वास एवं सृजन की नयी शक्ति जागृत कर सकते हैं। अतः शिक्षा ही परिवर्तन ला सकेगी और इन्हें इस योग्य बना सकगी कि वे भारतीय समाज में अपना विशिष्ट स्थान बना सकें।[5]

---

5. शर्मा, आर.ए. (2006) : "भारतीय शिक्षा–प्रणाली का विकास", सूर्या प्रकाशन (मेरठ),पेज 345–362

अंत में निष्कर्षतः हम कहे कि, "अशिक्षित आदिवासी बैगा उन्नति के अवसरों का लाभ नहीं उठा पा रहे है तो अतिश्योक्ति न होगी। यह स्थिति आदिवासी-जनजाति बैगा के संदर्भ में विशेष रूप से देखी जा सकती है। क्योंकि वे आज भी पिछड़े शोषित, अशिक्षा के अंधकार में भटकते हुये समाज से अलग हो गये हैं। परिणामतः स्वतंत्रता पश्चात् विकास के जो अवसर है उनका पूरा लाभ उनतक पहुँचने के मामले में शासन ने अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं छोड़ा लेकिन अथक प्रयास के बावजूद भी वे निरक्षर क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त न हो सका।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार "राज्य शासन की यह जिम्मेदारी हैं कि कमजोर वर्ग विशेषकर आदिवासी की शिक्षा से संबंधित गतिविधियों में तेजी से विस्तार करें।" इसके लिए आदिम जाति-कल्याण विभाग का गठन किया गया हैं, जो उनकी शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन करता है।

तालिका 1.1

विभाग द्वारा संचालित शैक्षणिक-संस्थाएँ (जिला-डिण्डौरी)

क्र.	विकास खण्ड का नाम	प्राथमिक शाला		माध्यमिक शाला		हाईस्कूल		उ.मा.वि.		कन्या परिसर	एकलव्य आवासीय विद्यालय
		बालक	कन्या	बालक	कन्या	बालक	कन्या	बालक	कन्या		
1	डिण्डौरी	165	04	68	01	06	01	07	-	01	01
2.	अमरपुर	111	06	34	02	06	02	02	-	-	-
3.	**समनापुर***	114	05	39	02	04	-	03	01	-	-
4.	करंजिया	138	-	33	02	07	01	04	-	-	-
5.	बजाग	86	18	44	02	07	-	03	01	-	-
6.	शहपुरा	164	13	74	07	11	02	04	01	-	-
7.	मेंहदवानी	108	01	44	01	06	01	02	-	-	-
योग		**886**	**47**	**336**	**17**	**50**	**07**	**25**	**03**	**01**	**01**
कुल योग		**993**		**353**		**57**		**28**		**01**	**01**

स्त्रोत : सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास डिण्डौरी, जिला-डिण्डौरी (म.प्र.)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट हैं कि जिला डिण्डौंरी में कुल 933 प्राथमिक शाला हैं, जिसमें शोध अध्ययन क्षेत्र विकासखण्ड समनापुर में 114 बालक एवं मात्र 05 कन्या हैं, कुल 353 माध्यमिक शाला है जिसमें 39 बालक एवं मात्र 02 कन्या व कुल 57 हाईस्कूल है जिसमें 04 बालक हैं जबकि कन्या

एक भी नहीं है, कुल 28 उ.मा.विद्यालय है जिसमें 03 बालक, 01 कन्या है। कन्या शिक्षा परिसर व एकलव्य आवासीय विद्यालय 01-01 है।

अनुसूचित-जनजातियों को अन्य लोगों की बराबरी में लाने के लिए आदिवासी-क्षेत्रों में शालायें खोली गयी हैं, भवनों का निर्माण किया गया हैं तथा विशेष वित्तीय आवंटन किया गया हैं तथा आश्रम शालायें, आवासीय विद्यालय खाले गये हैं। आंगनबाड़ी, औपचारिक-शिक्षा तथा प्रौढ़-शिक्षा पर विशेष बल एवं शिक्षा का अधिकार भी दिया गया है।

अतः इन सब प्रयासों के बावजूद मध्यप्रदेश के जिला डिण्डौरी में आदिवासी आदिमजाति बैगा की शिक्षा में भागीदारी एवं उनका शिक्षा का स्तर भी कम क्यों है? यह जानने के लिए शोधार्थी द्वारा शोधविषय "बैगा जनजाति की शिक्षा में आने वाली कठिनाईयाँः एक अध्ययन" का अध्ययन किया जा रहा हैं।

1.2 जनजाति का अर्थ एवं परिभाषाएँ :

जनजाति का अर्थ :- जनजाति निश्चित भू-भाग पर निवास करती हैं जिसकी अपनी भाषा, संस्कृति, रीतिरिवाज, परंपराये तथा राजनीतिक संगठन होता है तथा ये अंतर्विवाही होते हैं। इनकी प्रमुख परिभाषाऐं निम्नलिखित हैः- [6]

जनजातियों से संबंधित परिभाषाएँ :- नृशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों और साहित्यकारों ने अपने-अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप जनजाति संबोधन हेतु शब्दों को चुना है। *रिगले लीके और ग्रियसन* की दृष्टि में **'एबोरिजनल'** तथा **'नेटिव'** शब्द अधिक उपयुक्त हैं। *हैमनडार्क* के लिए **'ट्राइब'** शब्द ही पर्याप्त हैं। *मार्टिन एवं रिसले* ने उन्हें **'आदिवासी'** कहा। *हट्टन* ने **'आदिमजाति'** तथा *सरवेन्स* ने **'वन्यजातियों'** की संज्ञा दी हैं, एवं *धुरिये* ने इन्हें **'अनुसूचित जनजाति'** के नाम से संबोधित किया है।

1. **हॉबल के अनुसार (2005) :** "किसी भी जाति का एक सामाजिक समूह होता हैं जो एक विशेष भाषा बोलती हैं तथा जिसकी अपनी विशिष्ट

---

6. गुप्ता, एम.एम. एवं शर्मा, डी.डी.(2005): 'समाजशास्त्र', साहित्य भवन प्रकाशन

संस्कृति होती हैं, जो इन्हें दूसरे जनजाति समूहों से अलग करती है इनका अपना राजनीतिक संगठन होता हैं।"

2. **जेकब एवं स्टर्न के अनुसार (2005) :** " एक ऐसा ग्रामीण समूह जिसकी एक समान भूमि हैं। जिस समुदाय के लोगों का जीवन आर्थिक दृष्टि से दूसरे पर निर्भर हैं जनजाति कहलाता है।"

3. **गिलिन एवं गिलिन (2005) :** "स्थानीय जाति समूहों का एक ऐसा समुदाय जनजाति कहलाता है जो एक समान क्षेत्र में निवास करतीं हैं तथा जिसकी अपनी एक सामान्य संस्कृति हैं।"

4. **मजूमदार (2005) :** परिवार एवं परिवार वर्गो का एक ऐसा समूह जिसका एक सामान्य नाम हैं। जिसके सदस्य एक निश्चित भू-भाग पर निवास करते हैं एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं। तथा विवाह एवं व्यवसाय के विषय में निषेधाज्ञाओं का पालन करते हैं। जिन्होंनें आदान-प्रदान संबंध तथा पारिवारिक कर्तव्य विषयक एक निश्चित व्यवस्था का विकास कर लिया हैं जनजाति कहा जाता हैं, सामान्यतः जनजाति अंतर्विवाही के सिद्धांत का समर्थन करती है तथा उसके सभी सदस्य अपने ही जाति के अंतर्गत विवाह करते हैं।"

5. **इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया (2005) :** "एक जनजाति सामान्य नाम धारण करने वाले परिवारों का संकलन हैं जो एक सामान्य बोली बोलते हैं, एक ही भूखण्ड पर अधिकार करने का दावा करते हैं, अथवा दखल करते हो तथा जो साधारणतः अंतर्विवाही न हो यद्यपि मूल रूप से चाहे जैसे भी रह रहे हो।

6. **रॉल्फ पिडिगटन (2005) :** " हम एक जनजाति समूह की व्यक्ति के रूप में व्याख्या कर सकते है जो कि समान भाषा बोलते हो। समान भू-भाग में निवास करते हो जिसकी संस्कृति में समरूपता पायी जाती हो।"

तालिका 1.2

मध्यप्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति एवं निवास क्षेत्र

क्र.	विशेष पिछड़ी जनजाति	मुख्य निवास क्षेत्र
1.	बालाघाट	बैहर
2.	बस्तर	भानुप्रातपपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर, कोंड़ा, गाँवकटा और नारायणपुर
3.	बैतूल	बैतूल भैंसदेही
4.	बिलासपुर	कण्घौरा
5.	छिंदवाड़ा	अमरवाड़ा, छिंदवाड़ा, लखनादौन
6.	दुर्ग	संजोरी बलोद
7.	मंडला	मंडला, निवास, रामगढ़, **डिण्डौरी**
8.	राजगढ़	धर्म, जयगढ़, घरघोड़ा, जश्नपुर नगर खरसिया
9.	सरगुजा	अंबिकापुर, बैंकठपुर, भरतपुर, जनकपुर, मनेन्द्रगढ़, पाल, समरी, सीतापुर

स्त्रोत : बैगा विकास प्राधिकरण, डिण्डौरी जिला, मध्यप्रदेश

इस प्रशासनिक खण्डो में रहने वाली निम्नांकित जनजातियाँ ही अनुसूचित मानी जाती हैः-

(1) आंध्र (2) **बैगा*** (3) मैना (4) भारिया (5) भतरा (6) कोल (7) भील (8) भुजिया (9) बिंझवार (10) बिरहुर (11) धनवार (12) कोंध (13) गदबा (14) गोंड़ (15) हलवा (16) कम्हार (17) कंवर (18) कोरकू (19) कोलाम (20) कोरना (21) मंझवार (22) मंडा (23) नरोटिया (24) उराँव (25) पारधी (26) परजा (27) साँवला (28) संवेद।

1.3 बैगा-जनजातियों की विशेषताएँ :-

जनजातियों की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक संगठन, भाषा, क्षेत्र, विस्तृताकार आदि के आधार पर पहचान की जाती हैं जो निम्नलिखित हैं, (शर्मा, 2006)

1. **सामान्य भू-भाग :** बैगा-जनजाति एक निश्चित भूमि-भाग में ही निवास करती है इसके परिणाम स्वरूप उसका भू-भाग से लगाव एवं उसके

समुदायों में दृढ़ सामुदायिक-भावना का विकास हो जाता हैं। सामान्य भू-भाग में रहने के कारण ही सामान्य जीवन की अन्य विशेषताएँ विकसित हो जाती है।

2. **सामान्य भाषा :** जनजाति के लोग अपने विचारों का आदा-प्रदान करने के लिए एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते है, भाषा के माध्यम से ही वह अपनी संस्कृति का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को करती हैं, किन्तु सभ्यता के संपर्क के कारण बैगा एवं अन्य कई जनजातियाँ द्विभाषी हो गयी है।

3. **विस्तृत आकार :** बैगा-जनजाति कई परिवारों का संकलन होता हैं इसमें कई वंश, समूह, गोत्र, तथा भ्रातदल होते हैं यही कारण है कि इनकी सदस्य संख्या अन्य क्षेत्रीय समुदायों से अलग है।

4. **अंतर्विवाही :** बैगा-जनजाति के सदस्य अपनी ही जाति में विवाह करते है।

5. **एक नाम :** प्रत्येक बैगा-जनजाति का अपना कोई नाम अवश्य होता है, जिसके द्वारा वह अपनी पहचान बनाता हैं उसके सदस्य अपना परिचय जनजाति के आधार पर ही देते है।

6. **सामान्य संस्कृति :** बैगा-जनजाति की अपनी विशिष्ट संस्कृति रीतिरिवाज, प्रथाये, लोकाचार, नियम, कला, धर्म, साहित्य, चिकित्सा-पद्यति, जादूटोना, नृत्य, संगीत, रहन-सहन, आचार-विचार विश्वास मान्यताएँ होती है।

7. **आर्थिक आत्मनिर्भरता :** बैगा-जनजाति अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को स्वयं ही पूरा करने के सक्षम होती है। शिकार, फलफूल एकत्रित करने, पशुचारण एवं कृषि, गृहउद्योग आदि के द्वारा अपनी आवश्यकता की वस्तुएं जनजाति के सदस्य स्वयं ही जुटा लेते है, यद्यपि कभी-कभी वह अपने पड़ौसी समाजो से विनिमय भी करती है।

8. **राजनीतिक संगठन :** बैगा-जनजाति का अपना निजी राजनीतिक संगठन होता है इसने अधिकांश एक वंशानुगत मुखिया होता है जो परंपराओं का

पालन कराने, नियंत्रण बनाये रखने, एवं नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए दण्ड का विधान करने की व्यवस्था करता है।

➢ राष्ट्रपति द्वारा घोषित आदिवासी को सूची में रखने के लिए अग्रलिखित विशेषताओं को ध्यान में रख गया हैं।[7]

1. जनजाति परिवारों का समूह है।
2. जनजाति की अपनी भाषा है।
3. हर जनजाति की अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है।
4. इसका विवरण सुनिश्चित भू-भाग पर होता है।
5. स्वंत्रत सुरक्षात्मक संगठन होता है।
6. गोत्र तथा अंतर्विवाही समूह की विशेषता होती है।
7. जनजाति का उपागम होता है।
8. इनका जीवन स्तर प्राथमिक वनोत्पाद आधारित होता हैं
9. ये विकास की दृष्टि से पिछड़े होते है।
10. इनका निवास स्थान (दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र) दूरस्थ होता है।

1.4 जिला डिंडौरी में आदिम जनजाति बैगा[8] :-

हमारे देश की भौगोलिक-स्थिति की सभ्यता एवं संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा हैं। बड़ी-बड़ी नदियाँ, पर्वत, देश को अनेक भागों में बांटने में सहायक हुय है। देश के हृदयस्थल मध्यप्रदेश में बसा **डिंडौरी जिला आदिवासी आदिमजाति** बाहुल्य जिला हैं इस जिले में प्रमुख रूप से **बैगा-जनजाति** निवासरत् है जिसे भारत-सरकार द्वारा **राष्ट्रीय-मानव** घोषित किया गया, है। इसके अतिरिक्त कोल, परधान, भूमिया और आगरिया जनजातियाँ है।

7. बागड़े, तुकाराम जी (2002-03). लघुशोध प्रबंध एम.एड. "चंदपुर जिले के आदिवासी आश्रमशाला एवं जिला परिषद शाला एवं जिला-परिषद शालाओं के आदिवासी छात्र-छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धिः एक तुलनात्मक अध्ययन", क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल (म.प्र.)

8. बेस लाईन सर्वेक्षण (2005). "डिण्डौरी का परिचय", बैगा विकास प्राधिकरण, जिला-डिण्डौरी (म.प्र.)

इस जिले का क्षेत्रफल 6,128 वर्ग कि.मी. है। इसके पश्चिम में जबलपुर, उत्तर में उमरिया शहडोल जिला है, एवं दक्षिण में मंडला जिले से घिरा है। डिंड़ौरी ज़िले में वनों की अधिकता हैं। यहाँ की जलवायु समशीतोषण है। जिले के मैदानी–भागों में जनजातियाँ निवास करती है जबकि आदिम–जनजाति बैगा दुर्गम पहाड़ी भागों पर निवासरत् हैं। जिले की कुल **जनसंख्या 5,80,730** हैं। इनमें से कुल **बैगा–जनजातीय जनसंख्या 43,443** है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत–वर्ष के राज्यों का पुर्नगठन किया गया है। नमंबर 1956 को मध्यप्रदेश का गठन किया गया। वर्ष 1998 के पूर्व तक मध्यप्रदेश राज्य में 45 जिले थे। वर्ष 1998 में पुनः 16 नये जिले का गठन किया गया। 25 मई 1998 को मंडला जिले से पृथक होकर डिंडौरी जिला अस्तित्व में आया। जिले की पहचान **बैगाचक** से है जिसमें बैगा **आदिम जाति** के 52 गांव सम्मिलित हैं जिसमें सर्वाधिक बैगा जनजाति बैगाचक के **चाड़ा गांव** में है। जिसका **विकासखण्ड बजाग** है।

मध्यप्रदेश राज्य पुर्नगठन एक्ट 2000 के तहत 1 नमंबर 2000 को मध्यप्रदेश राज्य का पुर्नगठन किया गया हैं। मध्यप्रदेश के 61 जिलो में से छत्तीसगढ़ अंचल की स्थापना की गई है। तत्पश्चात् वर्ष 2003 में 3 जिले अनूपपुर, अशोक नगर बुरहानपुर बनाये जाने के साथ अब वर्तमान मध्यप्रदेश में 48 जिले हैं। डिंडौरी जिला मध्यप्रदेश राज्य के दक्षिण–पूर्व सीमा पर स्थित है।

सतपुड़ा श्रेणियों तथा नर्मदा–बेसिन के मध्य नव–निर्मित डिंडौरी–जिला प्राकृतिक–सौंदर्य तथा वनसंपदा से संपन्न किन्तु आर्थिक दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा है। यह जिला भू–मध्यरेखा से $22^0 17$ से $23^0 22$ उत्तरी अक्षांश तथा $80^0 35$ से $80^0 58$ पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। समुद्रतल से इसकी ऊँचाई 885 मी.से 1100 मी. हैं। इसका ढाल पूर्व–पश्चिम हैं। जिसमें नर्मदा नदी एवं सहायक नदियाँ खरमेर मचरार, चकरार आदि बहती है। यहाँ पर ग्रीष्मकालीन तापमान सामान्य तथा शीतकालीन हैं। वार्षिक वर्षा 125 से.मी. है। जिले के

विभिन्न भागों में काली, पीली, पहाड़ी किस्म की मिट्टी पायी जाती है। जो कंकरीली हैं। यहाँ जलस्तर प्रायः नीचा है।

जिले में 38 प्रतिशत भू-भाग पर सालबीज, महुँआ, आँवला, हर्रा, बहेरा, चिंरौजी, महुलायनपत्ता, शहद, औषधी, जड़ीबूटियाँ वनोपज के रूप में प्राप्त की जाती है। यहाँ करोड़ों वर्षो के फॉसिल्स बिखरे पड़े है यहाँ पुरातात्विक दृष्टि से कुमर्रामठ, लक्ष्मण मडवा, अमोल देवनाला, देवहारगढ़ दर्शनीय स्थल है।

कृषि की दृष्टि से 59 प्रतिशत भू-भाग उपयुक्त है। यहाँ की खेती वर्षा पर निर्भर हैं। अधिकांश भाग भर्रा एवं पथरीला हैं। यहाँ अरहर, चना, मसूर, रामतिल, राई, सरसों, कोदो-कुटकी, मक्का, सावा हैं। यहाँ शक्ति के साधन नगण्य है जिसमें रेत, पत्थर, मिट्टी बॉक्साइड आदि है।

प्रशासनिक दृष्टि से यह 3 विधानसभा क्षेत्रों (शहपुरा, डिंडौरी बजाग) 2 तहसीलो, 7 जनपद, 927 गांव (841 राजस्व गांव, 81 वनग्राम) 364 ग्राम पंचायत, 2 नगर पंचायत, 1 जिला पंचायत तथा 7 विकासखण्ड हैं। जिले की आबादी 5,80,730 है। जो प्रदेश का 0.96 प्रतिशत है। इसमें 50.23 प्रतिशत पुरूष तथा महिला 46.76 प्रतिशत है। जनसंख्या वृद्धिदर (1999-2001) 13.23 प्रतिशत हैं जिसमें जनसंख्या का घनत्व78 तथा लिंगानुपात 991 है अर्थात् प्रति 1000 पुरूषो पर 983 स्त्रियां है। कुल जनसंख्या का 95.37 ग्रामीण प्रतिशत हैं, जबकि 4.63 प्रतिशत शहरी है।

जिले की साक्षरता 54 प्रतिशत है। इसका मुख्य कारण गरीबी है जो कुल जनसंख्या का 37 प्रतिशत है एवं गरीबी से नीचे जीवनयापन करने वाले 58 प्रतिशत है तथा जन्मदर 28, मृत्युदर 10, शिशु मृत्युदर 96 तथा मावन मृत्यु 5 हजार हैं।

जिले में यातायात का मुख्य साधन सड़के हैं। विकासखण्ड तक के नगर व गांव कच्ची-पक्की सड़कों से जुड़े है तथा आदिवासी अंचल कच्चे मार्ग तथा पगडंडी से जुड़े है। जिले में बड़े उद्योगों का आभाव हैं। यहाँ पर कुटीर एवं लघुउद्योग ही पाये जाते हैं। यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि, पशुपालन, तथां वनोपज-संग्रहण है।

अन्य सहायक धंधे में ईट बनाना, बांस से टोकनियाँ बनाना है, चराई करना, दोना-पत्तल बनाना, कोयला बनाना, लकड़ी एवं लोहे की वस्तुएँ, औजार तैयार करना हैं, तेल निकालना, गिट्टी बनाना, सीमेंट के पाईप लाईन सब्जी उगाना, दुग्ध उत्पादन आदि है।

तालिका 1.3

विकास खंडवार विशेष पिछड़ी जनजाति : ग्राम व जनसंख्या (जिला-डिण्डौरी)

क्र.	विकासखण्ड का नाम	ग्राम	जनसंख्या		योग	परिवार
			महिला	पुरूष		
1.	डिण्डौरी	34	1,674	1,595	3,269	801
2.	शहपुरा	19	980	983	1,963	976
3.	करंजिया	23	1,732	1,696	3,428	697
4.	बजाग	23	2,746	2,824	5,570	1,154
5.	मेहंदवानी	37	1,358	1,376	2,734	598
6.	**समनापुर***	28	2,126	2,133	4,259	920
7.	अमरपुर	38	1,074	1,146	2,220	532

स्त्रोत : बैगा विकास प्राधिकरण, जिला डिण्डौरी (म.प्र.)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट हैं कि शोध अध्ययन क्षेत्र जिला डिण्डौरी के विकासखण्ड समनापुर में कुल 28 गाँव है, इन गांवों में कुल 2,126 महिला एवं 2,133 पुरूष है। जिसका कुल योग जनसंख्या 4,259 है। यहाँ 920 परिवार निवासरत् है।

1.5 आदिम जनजाति बैगा का सामाजिक-जीवन :-

(i) उत्पत्ति-[9] बैगाओं की उत्पत्ति के संबंध में कोई प्रमाणिक ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त नहीं हैं, फिर भी रसेल एण्ड हीरालाल ने बैगाओं को भूमिया की शाखा माना है। किवदंती के अनुसार "नागा बैगा और बैगिन, बैगाओं के आदिपुरूष माने जाते है।

9. निरगुणे, बसंत (2004). "आदिवर्त मध्यप्रदेश की जनजातियाँ", महावीर पब्लिशर्स, इन्दौर (म.प्र.) पेज-121-122.

एक बैगा धारणा में नागा बैगा तुम्बे में से पैदा हुए। तुम्बे से दो आदमी निकले। पहला नागा बैगा हुआ व दूसरा गोंड। नागा बैगा टंगिया लेकर जंगल काटने चला गया और गोंड ने नागर संभाल लिया।

(ii) **निवास-** बैगा मध्यप्रदेश की आदिम संस्कृति संपन्न (Primitive Tribes) जनजाति है। इसका मुख्य निवास जिला डिण्डौरी के **बैगाचक** के घने जंगलों **समनापुर** बालाघाट, बिलासपुर, राजनंदगांव तथा अमरकंटक के पहाड़ी अंचलों में है। जिला डिण्डौरी बैगाचक क्षेत्र में कुल **52 गांव** है। सबसे बड़ा बैगा संपन्न क्षेत्र **चाड़ागांव** है जो **बजाग विकासखण्ड** के अंतर्गत आता है। यहाँ आज भी दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में निवासित बैगा-जनजाति को अपनी आदिम संस्कृति से समामिलन करते हुये देखा जा सकता है।

इनके सामाजिक जीवन के अन्य पक्ष है [10]:

1. **रहन-सहन :**

बैगा-जनजाति के लोगों में सच्चाई, ईमानदारी, सीधापन, प्रसन्नता, निश्चिन्तता आदि विशेषताएं पाई जाती है। इस जनजाति के लोगों का प्रायः रंग सांवला कद ठिगना, नाक चपटी होती हैं ये स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर और अल्पभाषी होते है। बैगा स्त्रियों के माथे पर अर्द्ध चन्द्र या त्रिशूल का गुदना गुदवाती हैं। इस गुदने के पीछे ऐसा विश्वास किया जाता है कि मृत्यु होने पर शरीर यही छूट जाता है और गुदने के साथ जाते हैं।

पुरूष लंगोटी या छोटी-धोती पहनते है। छोटा सा कपड़ा पगड़ी के काम लाते हैं। स्त्रियां लंबी धोती पहनती हैं। जिसे ये लोग सैलारी लुगरा कहते है। स्त्रियाँ एल्यूमीनियम एवं पीतल के आभूषण पैरों एवं हाथों में धारण करती हैं। गले में हमेल जिसमें चांदी के सिक्के गुंथे और लकड़ी की छोटी कंघी खुची रहती है। स्त्रियां सिर ढंकना आवश्यक नहीं मानती है। इस जनजाति में पर्दाप्रथा नहीं

---

[10]. बेसलाईन सर्वेक्षण(2005), "बैगा एक संक्षिप्त परिचय" बैगा विकास प्राधिकरण जिला-डिण्डौरी (म.प्र.)

है। नामकरण किसी पेड़ पौधे, पशुपक्षी नदियों दिनों और महीनों आदि के आधार पर रखने की प्रथा है।

2. आवास :

बैगा–जनजाति द्वारा बेबर कास्त (स्थानांतरित कृषि) करने के कारण इनका निवास भी बदलता रहता था। लेकिन आजकल स्थायी कृषि करने लगे है, जिससे इनका निवास स्थायी हो गया है। लकड़ी मिट्टी और बांस के बने इनके घर पहाड़ी ढलान या पर्याप्त कृषि योग्य भूमि के पास होते हैं। मकान के केन्द्रीय हिस्से में अन्न रखने की कोठी होती है। मकान के पास ही पशुओं के लिए एक पृथक स्थान रखा जाता है।

3. भोजन :

बैगा–जनजाति के भोजन के कोदो, कुटकी, मक्का और सांवां का पेय मुख्य होता है जिसे पेज कहते हैं। दिन में 8–9 बजे भोजन कर लेते है। चावल और ज्वार गेंहूँ का उपयोग करने लगे है। रोटी रोज नहीं खाते। इनके भोजन में जंगल वनस्पतियों की मात्रा अधिक होती है जिसे ये भाजी के रूप में उपयोग करते हैं। बरसात के दिनों में नरम बांस जिसे ये लोग करील कहते हैं का प्रयोग एवं पिहरी (मशरूम) एक प्रकार की वनस्पति का उपयोग सब्जी के लिए करते हैं। इस जनजाति की मांस खाने में अधिक रूचि रहती हैं। जंगल से कंद मूल फल प्राप्त करते है। मदिरा पान के शौकीन होते हैं। घर पर ही महुँए की शराब बनाई जाती है। धूम्रपान के लिए चिलम, चोंगी एवं बीड़ी का इस्तेमाल करते है।

4. अर्थ व्यवस्थाः

बैगा–जनजाति की अर्थव्यवस्था वन और कृषि पर आधारित है। बैगा लोगों में हल चलाना अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि बैगा पुरूष हल चलाकर अपनी धरती माता का पेट कैसे चीर सकते हैं? परन्तु आजकल बहुत से लोग हल चलाने लगे हैं। इनके द्वारा पैदा की जाने वाली खरीफ फसलें

हैं– मक्का, ज्वार, धान, कोदो, कुटकी, सावा, रमतिला, मडिया, कांग, झुंझरू, राहर, बरबटी, खीरा, उड़द।

डिण्डौरी जिला में बैगा–जनजाति की एक बहुत बड़ी संख्या "बैगाचक" में निवास कर रही है। चक का अर्थ झुण्ड या समूह होता हैं बैगा जनजाति के विशाल समूह को देखते हुए इस क्षेत्र को बैगाचक कहा गया हैं चारों तरफ से जंगल पहाड़ों से यह इलाका घिरा हुआ है।

एक लम्बे अर्से से अगम्य वन और पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने के कारण बैगा–जनजाति का संपर्क उन क्षेत्रों में समाप्त हो गया था जो आज आधुनिक सभ्यता और संस्कृति से जुड़ चुके है। सरकार इस जनजाति के व्यक्तियों की सर्वतोन्मुखी उन्नति के लिए कटिबद्ध है एवं विभिन्न प्रकार के विकास कार्यक्रमों में बहुत बड़ी धनराशि खर्च कर रही है। परन्तु वास्तविकता यह है कि विकास कार्यक्रमों को जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली।

5. विवाह :

बैगा–जनजाति एक विवाही एवं बहु पत्नी विवाह को सामाजिक मान्यता प्राप्त है। ये अपने गोत्र समूह के बाहर विवाह करते हैं। इनमें ममेरे, फुफेरे भाई–बहिनों के विवाह का भी प्रचलन है। विवाह की बात वर पक्ष से आरंभ होती है, कन्या की इच्छा उचित महत्व प्राप्त है। बैगा–जनजाति में सात प्रकार के विवाह पाए जाते हैं– मंगनी विवाह, उधाड़िया विवाह, दूध पलटा विवाह, पैटू विवाह, लमसेना विवाह, चोरी विवाह, एवं खडौनी विवाह। इसके अतिरिक्त बैगा जाति में विधवा पुर्नविवाह की प्रथा भी पाई जाती है।

6 देवी देवताः

बैगा–जनजाति बहुदेववादी है। अनिष्ठ के भय से हर प्राचीन वस्तु को देवता का पाटमान लेते हैं। देव धामों को यह लोग दो भागों में बांटते हैं। ग्राम देवी–देवता में ठाकुर देव, नारायण देव, खेरमाई, गनपती माता। गृहदेवी, देवताओं में जैसे बूढ़ा देव, बंजारी देव, दूल्हा देव आदि। गांव में एक पंड़ा (गुनिया) और

एक मढ़िया होती है। अच्छी फसल की कामना से गुनिया से बीज बोने के पहले ''बिदरी बनाना'' एक धार्मिक संस्कार संपन्न कराया जाता है। कुछ फसलों की प्राप्ति पर भादों के माह में ''नवाखाई'' एक उत्सव मनाया जाता है। जिसमें अपने सभी देवताओं को नये अनाज का भोग अर्पित किया जाता है।

7. मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार –

मृतदेह का अग्नि संस्कार किया जाता है चेचक से मरे व्यक्ति को और बच्चों के मरने पर गडाने की प्रथा है। मृतक के घर नौ दिन तक चूल्हा नहीं जलता है।बिरादरी के अन्य लोगों के यहाँ से मृतक के परिवार के लिए भोजन आता है। बुजुर्ग की मृत्यु पर भद्र करते है। तथा परिवार के पुरूष सदस्यों को पगड़ी बांधी जाती है। जिसे ये लोग पगबंधी कहते हैं। बिरादरी के लोगों एवं रिश्तेदारों का भोजन होता हैं। बैगा–जनजाति में पुर्नजन्म पर विश्वास किया जाता है।

8. मनोरंजन के साधन लोकगीत, लोक नृत्य एवं त्यौहारः

बैगा–जनजाति के पास मनोरंजन के अन्य कोई साधन न होने के कारण लोकगीत एवं लोकनृत्य के माध्यम से सामूहिक तौर पर अपना मनोरंजन करते हैं। बैगा लोगों में मडई और मेले बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होते है। शादी विवाह या अन्य पर्व जैसे मडई मेले में भाग लेने आये हुए रिश्तेदारों एवं बिरादरी के लोगों के साथ नृत्यगान किया जाता है। इनमें प्रचलित लोक नृत्य करना है। डिण्डौरी के ''बैगाचक'' में प्रचलित इस लोक नृत्य का प्रदर्शन बैगा लोक नृतकों द्वारा भारत के विभिन्न भागों में किया जा चुका है। इनके लोक गीतों एवं लोक नृत्यों में स्वाभाविकता और सरलता होती है। लोकगीतों में जीवन का जितना सच्चा और स्वाभाविक वर्णन उपलब्ध होता है। उतना अन्यत्र नहीं। वनग्रामों में लोगों का जीवन समस्यापूर्ण होता है। जीवन के दुख और समस्याओं को थोड़े समय के लिये भुलाकर लोकगीतों एवं लोकनृत्यों के माध्यम से अपना मनोरंजन करते हैं एवं उत्साहित व प्रसन्नचित होकर संघर्ष में पुनः जुट जाते हैं। इन लोकगीत लोक नृत्यों एवं उत्सव त्यौहारों के द्वारा समाज के अन्य लोगों के

साथ अंतःक्रिया एवं अंतःसंबंधों के अवसर प्राप्त होते है साथ ही दूसरों के सुखों से हर्षित और दुखों से द्रवित होते है। सुख–दुख में भागीदारी का अवसर होता है।

1.6 आदिवासियों जनजातियों के लिए संवैधानिक प्रावधान :–

1. **भाग–3, अनुच्छेद 29 :** "भारतीय संविधान अल्पसंख्यंकों, वंचित वर्गो एवं आदिवासियों के शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा करेगा।"
2. **भाग–4, अनुच्छेद 46 :** "राज्य, वंचित वर्ग आदिवासी, हरिजनों, अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा एवं आर्थिक सहायता करके उनके पूर्ण विकास करने में सहायता देकर आगे बढ़ायेगा।"
3. **भाग–12, (ए. अनुच्छेद 275) :** "सरकार द्वारा राज्य सरकार को वहाँ के आदिवासियों की प्रगति के लिए केन्द्रसरकार से आर्थिक मद्‌द दिलवाना।"
4. **अनुच्छेद ए. 339 :** "राष्ट्र, संविधान बनने के 10 वर्ष पूर्व होने तक कभी भी आदिवासी कल्याण की जानकारी प्राप्त कर सकता है।"
5. **अनुच्छेद ए. 340 :** "भारत के राष्ट्रपति किसी भी कमीशन की नियुक्त करके आदिवासी एवं पिछड़ें–वर्ग की जानकारी प्राप्त करके उनकी कठिनाईयों को अपने तरीके से दरकर सकता है।"
6. **अनुच्छेद 29 (प्रथम) :** "पिछड़े–वर्ग के नागरिकों को अनुसूचित–जाति एंव जनजाति की सामाजिक एवं शैक्षिक उन्नति व प्रगति के लिए विशेष प्रावधान का उपयोग किया गया है।"
7. **अनुच्छेद 29 (द्वितीय) :** "कोई भी शैक्षिक संस्था किसी भी नागरिक को शैक्षिक प्रवेश से मना नहीं कर सकता। अपनी जाति धर्म, प्रगति, भाषा, संस्कृति आदि के लिए समाज को अधिकृत किया गया है।"
8. **अनुच्छेद 46 :** "राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत कहा गया हैं कि शैक्षिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े का विशेष ध्यान रखना, उनकी उन्नति

प्रगति करने में सहायता देना तथा अनुसूचित-जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को सामाजिक अन्याय, एवं सभी प्रकार के शोषणों से इनकी रक्षा करना, राज्य का उत्तरदायित्व होगा।"

1.7 कोठरी कमीशन (1964-66) में आदिवासी शिक्षा :-

कोठरी शिक्षा आयोग के अनुसारः- "शिक्षा के अवसरों की विषमता का एक बहुत बड़ा कारण यह भी हैं कि जनसंख्या को एक बहुत बड़ा भाग निर्धन है।" **पुनः कोठारी शिक्षा आयोग के अनुसार :** उन्नत वर्ग और पिछड़े अनुसूचित-जाति और जनजाति के शैक्षिक विकास का अंतर पहले जितना बड़ा ही हैं और कभी-कभी उससे की बड़ा होता है।

➢ **कोठारी आयोग ने शैक्षिक विषमताओं के निराकरण के निम्नलिखित उपाय बताये हैं :**

1. विद्यालयों में निर्धन वर्ग के बच्चों पर अधिक ध्यान देना चाहिए।
2. माध्यमिक विद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा की संस्था में "पुस्तक-बैंक" का कार्यक्रम विकसित किया जाना चाहिए।
3. स्त्रियों की शिक्षा के लिए आवश्यक धन प्राथमिकता के आधार पर दिया जाना चाहिए।
4. अनुसूचित-जनजाति के बच्चों के लिए छात्रावास की योजना संचालित की जानी चाहिए।
5. आदिमजाति क्षेत्र में सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
6. सभी क्षेत्रों तथा सभी स्तरों पर बालिकाओं की शिक्षा की ओर पर्याप्त ध्यान देना आवश्यक है।
7. माध्यमिक विद्यालयों तथा उच्च शिक्षा की संस्थाओं के पुस्तकालयों में पाठ्य-पुस्तके पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। जिससे प्रत्येक छात्र उसका प्रयोग कर सकें।

8. सरकार के द्वारा ऐसी नीतियाँ अपनाना चाहिए जिससे विभिन्न जिलों में शिक्षा के अवसरों और शैक्षिक विकास की क्षमता आ सकें।

9. अध्ययन शुल्क धीरे-धीरे घटा देना चाहिए। छात्रों को पुस्तकें, स्टेशनरी, मध्यान्ह भोजन और गणवेश निःशुल्क देना चाहिए।

10. विद्यार्थियों की अध्ययन के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्तियाँ दी जानी चाहिए।

1.8 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आदिवासी शिक्षा :-

1. आदिवासी इलाके में प्राथमिक शाला खोलने के काम को पहला महत्व, शिक्षा के लिए निधि तथा एन.आर.ई.पी. और आर.एल.ई.पी.जी. जनजाति-कल्याण योजनाओं के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर इन क्षेत्रों में स्कूल भवनों का निर्माण किया जायेगा।

2. आदिवासी के माहौल का अपना अलग रंग होता हैं उनकी विशिष्टतः प्रायः अन्य बातों के साथ अपनी बोलियों में निहित है, अध्ययन में इनकी अहमियत नहीं भुलायी जानी चाहिए। पढ़ाई की शुरूआत उनकी अपनी भाषा से होनी चाहिए, आगे चलकर प्रादेशिक भाषा की खाई को दूर किया जा सकें।

3. पढ़े-लिखे और प्रतिभाशाली आदिवासी युवको को प्रशिक्षण देकर अपने क्षेत्र में शिक्षक बनने को प्रोत्साहित किया जायेगा।

4. बड़ी तादाद में आवासीय विद्यालय एवं आश्रम शालाएँ खोली जायेगे।

5. आदिवासियों के लिए उनकी अपनी शैलीओं और खास जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रेरणादायी योजना तैयार की जायेगी।

उच्च शिक्षा के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्तियों में तकनीकी और अच्छी व्यवसायिक किस्म की पढ़ाई को ज्यादा महत्व दिया जाये। मनोसामाजिक प्रबंधनों को दूर करने के लिए विशेष उपचारात्मक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जायेगी।

6. आंगनबाड़ी, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र, और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र आदिवासी बाहुल्य इलाके में खोले जायेगे।

7. हर कक्षा के लिए पाठ्यक्रम तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि आदिवासी छात्र अपनी कीमती तहजीब, पहचान के प्रति सचेत रहे और उनकी सृजनात्मकता प्रतिभा का उपयोग कर सकें।

8. बड़ी संख्या में आश्रम विद्यालय व आवासीय विद्यालय खोले जायेगे।

9. उच्च शिक्षा के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्तियों में व्यवसायिक तथा तकनीकी पढ़ाई को अधिक महत्व दिया जायेगा।

1.9 जनजातियों से संबंधित विभिन्न विकास योजनाएँ[11] :-

आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की अच्छी व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए विभाग द्वारा डिण्डौरी जिले के अंतर्गत प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर की शालाओं एवं छात्रावास, आश्रम शालाओं का संचालन किया जा रहा हैं। वर्तमान में डिण्डौरी जिला में 933 प्राथमिक शाला, 353 माध्यमिक शाला, 44 हाईस्कूल, 28 हायर सेकेण्डरी, 61 छात्रवास, 45 आश्रम, 01 एकलव्य आवासीय विद्यालय, 01 कन्या क्रीड़ा परिसर शहपुरा, 01 अनुसूचित जाति पोस्टमेट्रिक छात्रावास एवं 01 पिछड़ा वर्ग पोस्टमैट्रिक छात्रावास संचालित हैं।

➤ **मध्य-प्रदेश में आदिवासी शैक्षणिक व आर्थिक विकास की विभिन्न योजनाएँ:**

1. **राज्य छात्रावृत्ति :**

यह छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 10 तक की बालक-बालिकाओं को निम्न दरों पर प्रदान की जा रही है :-

कक्षा	बालक	बालिका
1 से 5	रू. 150/-	रू. 150/-
6 से 8	रू. 200/-	रू. 300/-
9 से 10	रू. 600/-	रू. 800/-

* (विशेष पिछड़ी जनजाति सहरिया, भारिया एवं **बैगा*** के ही बालकों को कक्षा 1 से 5 में यह सुविधा है)

---

11. ''मध्यप्रदेश में आदिवासी विकास की योजनाएँ'', मध्यप्रदेश शासन, आदिमजाति कल्याण विभाग, जिला डिण्डौरी (म.प्र.)

2. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति :

रूपये एक लाख आठ हजार की आय सीमा तक भारत–सरकार के स्त्रों से तथा रूपये एक लाख आठ हजार से अधिक किन्तु 3 लाख की आय सीमा तक राज्य सरकार के स्त्रों से छात्रवृत्ति एवं फीस प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान की जाती हैं।

3. विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना :

अनुसूचित–जनजाति के युवाओं को विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस योजना में प्रति वर्ष 10 छात्र–छात्राओं का चयन किया जाता है। विद्यार्थी को प्रति वर्ष अधिकतम रूपये 15 लाख तक छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान है।

4. कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना :

जनजाति की बालिकाओं को शिक्षा में प्रोत्साहन देने के लिए कक्षा 5वीं, 8वीं एवं 10वीं की परीक्षा पास कर अगली कक्षा में प्रवेश लेने पर क्रमशः रूपये पांच सौ, रूपये एक हजार एवं रूपये तीन हजार प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किये जाते हैं।

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम आदिवासी विकासखण्डों में संचालित समस्त शासकीय तथा अनुदान प्राप्त प्राथमिक तथा माध्यमिक शालाओं में मध्यान्ह भोजन का वितरण किया जा रहा है। भारत से खाद्यान निःशुल्क प्राप्त होता है।

5. विशेष पिछड़ी जनजाति के बालकों को निःशुल्क गणवेश प्रदाय :

चयनित 15 जिलों में निवासरत् विशेष पिछड़ी जनजाति (बैगा*, सहरिया एवं भारिया) के कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत् विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क गणवेश, स्वेटर, जूते–मोजे प्रदान किये जाते हैं।

6. छात्रावास/आश्रम :

कक्षा 6 से कक्षा 10 तक अध्ययनरत् विद्यार्थियों को प्री–मैट्रिक छात्रावास एवं उसके ऊपर कक्षाओं में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में प्रवेश दिया जाता हैं आश्रम शालाओं में कक्षा 1 से 8 तक के

छात्र–छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है। इन छात्रावास/आश्रमों में निःशुल्क आवास, पानी, बिजली, बर्तन, बिस्तर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सेवाओं की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

7. उत्कृष्ट शिक्षा संस्थान (छात्रावास योजना) :

विभाग द्वारा मेधावी छात्र–छात्राओं को उत्कृष्ट शिक्षा देने के उद्देश्य से जिला स्तर पर उत्कृष्ट केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इस योजना को विस्तार देते हुए अब विकासखण्ड मुख्यालयों पर भी उत्कृष्टता शिक्षा संस्थान (छात्रावास) संचालित किये जा रहे हैं। इनमें निवास करने वाले छात्र–छात्राओं को छात्रावासी सुविधा के अतिरिक्त कोचिंग, कम्प्यूटर शिक्षण एवं प्रति विद्यार्थी रूपये 2000/– के मान से प्रतिवर्ष स्टेशनरी भी प्रदान की जाती है।

8. छात्रगृह योजना :

पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में स्थान अभाव के कारण ऐसे छात्र जिन्हें प्रवेश नहीं मिल पाता है, उनके लिए इस योजना के अंतर्गत किराये पर मकान उपलब्ध कराया जाता है। किराया, पानी एवं बिजली का शुल्क विभाग द्वारा वहन किया जाता है तथा छात्रावासी दर पर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

9. ग्राम पंचायतों को पुरूस्कार योजना :

89 आदिवासी विकासखण्डों में प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण तथा अनुसूचित–जनजाति वर्ग के प्राथमिक शाला में प्रवेश योग्य बालक/बालिकाओं को शतप्रतिशत प्रवेश दिलाने तथा शाला छोड़ने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु श्रेष्ठ कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को पुरूस्कार स्वरूप रूपये 25,000/– प्रति ग्राम पंचायत प्रति विकासखण्ड के मान से राशि प्रदान की जाती है।

10. सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना –

राज्य शासन से संघ लोक सेवा आयोग तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षाओं में विभिन्न स्तरों पर सफल होने वाले अनुसूचित–जनजाति के अभ्यार्थियों को निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि विभाग द्वारा प्रदान की जाती है:–

क्र.	विवरण	पी.एस.सी.	यू.पी.एस.सी.
1.	प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर	20,000/-	40,000/-
2.	मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर	30,000/-	60,000/-
3.	साक्षात्कार उपरांत चयन होने पर	25,000/-	50,000/-

11. क्रीड़ा परिसर :

विभाग द्वारा प्रदेश में 100 सीटर, 17 विभागीय क्रीड़ा परिसर संचालित हैं, इनमें निवास करने वाले विद्यार्थियों को शिष्यवृत्ति के अतिरिक्त प्रति माह रूपये 100/- पोषण आहार भत्ता, प्रतिवर्ष गणवेश के लिए रूपये 350/- एवं स्पोर्टस किट के लिए 500/- रूपये दिये जाते हैं। क्रीड़ा परिसरों में विभिन्न खेल विधाओं में प्रशिक्षित क्रीड़ा शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है।

12. प्रतिभावान छात्र खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना :

विभाग द्वारा विभागीय संस्थाओं में अध्ययनरत् अनुसूचित-जनजाति के विद्यार्थियों को जिन्होंने विभिनन राज्यस्तरीय एवं राष्ट्रीयस्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेकर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया है, उन्हें निम्नानुसार पुरूस्कार राशि से सम्मानित किया जाता हैः-

क्र.	विवरण	राज्य स्तर	राष्ट्रीय स्तर
1.	प्रथम स्थान	7,000	21,000
2.	द्वितीय स्थान	5,000	15,000
3.	तृतीय स्थान	3,000	11,000
4.	सहभागिता	------	4,000

13. विद्यार्थी कल्याण योजना :

जनजाति के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को, आकस्मिक विपत्ति, विशेष रोग से पीड़ित होने पर इलाज हेतु तथा विशेष अभिरूचि को प्रोत्साहन देने हेतु निम्नानुसार सहायता दी जाती हैं:-

क्र.	विवरण	सहायता राशि
1.	मृत्यु पर (छात्रावास/आश्रम में निवासरत् रहते हुए)	25,000/-
2.	विशेष रोग केंसर, टी.बी. एवं हृदय रोग आदि	25,000/-
3.	असामयिक विपत्ति	5,000/-
4.	निःशक्त छात्र/छात्राओं को ट्रायसाईकल हेतु	3,000/-

14. शंकर शाह, रघुनाथ शाह/रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना :

आदिवासी छात्र-छात्राओं के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा में प्रदेश में अपने संवर्ग में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को निम्नानुसार राशि से सम्मानित किया जाता है:-

कक्षा	प्रथम	द्वितीय	तृतीय
10वीं	20,000	15,000	10,000
12वीं	30,000	20,000	10,000

15. स्वर्ण जयंती मध्यप्रदेश अनुसूचित-जनजाति बस्ती विकास योजना :

विकास की अधोसंरचना की दृष्टि से पिछड़े रह गये आदिवासी बाहुल्य अंचलों के विकास हेतु **'स्वर्ण जयंती मध्यप्रदेश अनुसूचित-जनजाति बस्ती विकास योजना'** अंतर्गत आदिवासी बाहुल्य ग्रामों में सड़क निर्माण, नाली, खरन्जा, शौचालय, शैक्षणिक संस्थाओं के बाउण्ड्री वॉल, सामुदायिक भवनों आदि का निर्माण कराया जाता है।

16. आर्थिक विकास कार्यक्रम :

एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं के माध्यम से परियोजना क्षेत्रों में निवासरत् गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले अनुसूचित जनजाति के परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की दृष्टि से रूपये 20 हजार की राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जा रही है।

17. समग्र विकास कार्यक्रम :

संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत सामुदायिक विकास की दृष्टि से वंचित आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के चिन्हित क्षेत्रों में विभिन्न प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष रूप से राशि उपलब्ध कराई जाती है।

18. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की योजनांए :

म.प्र. के आदिवासी वर्ग के हितग्राहियों को ट्रक, ट्रेक्टर, ट्राली, कृषि उत्पादन यंत्र बकरी पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, आटा चक्की

आदि व्यवसाय के लिए सस्ती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। विकलांग आदिवासी वर्ग के लिए गारमेन्टस, किराना दुकान, पान दुकान, आटा चक्की एवं अन्य व्यवसायों हेतु भी ऋण सुविधा प्रदान की जाती है।

19. वन अधिकार अधिनियम :

अनुसूचित-जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत वन भूमि पर 31 दिसम्बर 2005 की स्थितिमें काबिज जनजाति के लोगों को विहित प्रक्रिया के तहत हक प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाने का प्रावधान है। इन वन अधिकार धारकों को कृषि विकास के लिए **कपिलधारा योजना** अन्तर्गत कूप निर्माण तथा सफल कूपों पर सिंचाई सुविधा हेतु डीजल/विद्युत पंप प्रदाय किये जाने का अभियान शुरू किया गया है।

20. विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास हेतु संरक्षण सह विकास योजना :

प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों (सहरिया, भारिया, **बैगा***) के विकास हेतु संरक्षण सह विकास योजना क्रियान्वित की जा रही है। 15 जिलों के 11 अभिकरणों के माध्यम से संचालित योजनाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, कृषि विकास, स्वरोजगार, प्रशिक्षण एवं आवास की योजनाएं ली गई है।

➢ **अन्य योजनाएँ :**

बैगा-जनजाति के विकास हेतु निम्न योजनाएँ जिला डिण्डौरी में वर्तमान में क्रियान्वित हैः- जनश्री बीमायोजना, कृषि विकास योजना, पशुपालन योजना, हैण्डपंप योजना, आवास मरम्मत योजना, तकनीकी शिक्षा योजना आदि।

➢ शोध अध्ययन क्षेत्र में क्रियान्वित शैक्षिक-विकास की योजनाओं के प्रभाव का आलोचनात्मक अध्ययन-

शोधार्थी द्वारा अध्ययन क्षेत्र जिला डिण्डौरी के विकासखण्ड समनापुर के बैगा गांव समर्धा, पौड़ी, कमकों, पिपरिया में शोध तथ्यों के अवलोकन दौरान यह अनुभव किया गया कि शिक्षा के विकास के लिए सरकार द्वारा प्रभावी व उद्देश्यपूर्ण योजनाओं का निर्माण किया गया एवं शोध क्षेत्र में वे क्रियांकित भी

है लेकिन उनकी पूर्ण व पूर्व निर्धारित उपलब्धियों को प्राप्त नहीं किया जा रहा हैं इसका मुख्य कारण बैगा–जनजाति में शैक्षिक जागरूकता का आभाव हैं जिनके कारण वह इन योजनाओं के पूर्ण लाभ से भी वंचित हैं वहीं दूसरी और सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार भी प्रमुख बाधक तत्व है। उदाहरण शिक्षक छात्रवृत्तियों की राशि पर छात्र/छात्राओं से हस्ताक्षर व अंगूठा लगवा देता है एवं आधी राशि स्वयं रख लेता है, शेष उन्हें देता है ओर जब उससे इसका कारण पूछा जाता तो वह सरकारी फाईलों में छात्र/छात्राओं को अनुपस्थित बता देता है।

इसके अतिरिक्त योजनाओं की प्रभाविता कम होने के निम्न कारण है तथा योजनाओं का प्रचार–प्रसार बैगा निवासित दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में प्रायः प्रभावी रूप से नहीं होता, प्रायः कई विद्यालयों में अध्यापक हेतु कक्षाकक्ष की उचित व्यवस्था नहीं है, कई स्थानों पर विद्यालय पहुँच हेतु आवागमन साधन व पुस्कालय, प्रायोगिक व्यवस्था नहीं है। कई विद्यालयों में विषय शिक्षक अनुपस्थित है। कई विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं को एक ही शिक्षक पढ़ा रहा है, शिक्षकों का मानदेय प्रायः कम हैं। अतः शिक्षक विद्यालय नियमित रूप से नहीं तो है।

शोध क्षेत्र में यह देखा गया कि शैक्षिक सुविधाओ की वस्तुएं पूर्ण रूप से छात्रों को नहीं दी जाती एवं छात्रवृत्ति की राशि भ्रष्टाचार से प्रभावित है। जनश्री बीमा योजना, आंगनवाड़ी सर्वशिक्षा अभियान भी इनके अवसाद से ग्रस्त है। .

1.10 आदिम जनजाति बैगा की वर्तमान शैक्षिक स्थिति :–

(i) प्रस्तावना : नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा– "दुनिया को बदलने के लिए शिक्षा ही सबसे शक्तिशाली हथियार हैं।" एक देश का विकास उसकी (प्रतिकुशल मजदूर) के ऊपर निर्भर करता है। जो कि उच्च स्तर की शिक्षा के द्वारा ही संभव है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सन् 1999 में मध्य–प्रदेश में 'राजीव–गांधी शिक्षा मिशन' स्कूल के तहत (Universal Etementry Education (U.E.E.) की शुरूआत की गई। इसका मुख्य उद्देश्य "उन बच्चों में शिक्षा को बढ़ावा देना है। जो कि अत्यंत पिछड़े इलाकों में रहते हैं।" हालाँकि प्रदेश सरकार

द्वारा निर्धारित लक्ष्य शिक्षा प्रयासों की बहुत ही चमकीली तस्वीर दिखाते है। परन्तु वास्तविक परिस्थितियों की जरूरतें खासकर पहाड़ी तथा पिछड़े इलाकों में बहुत ही कम है। (जनजाति शिक्षा) मध्यप्रदेश में सबसे ज्यादा चिंता का विषय है।

(ii) जनजाति शिक्षा का स्तर :

हालाँकि मध्यप्रदेश जनजातीय एस.टी. जनसंख्या में देश में प्रथम और पूरी जनसंख्या के भाग में अनुसूचित-जनजातीय जनसंख्या में 12वें स्थान पर आता है। लेकिन अनुसूचित-जाति की साक्षरता दर में म.प्र. 41.16 प्रतिशत है। जो कि राष्ट्रीय साक्षरता दर 47.10 प्रतिशत से काफी कम है। 2001 जनगणना के अनुसार "मध्यप्रदेश में अनुसूचित-जनजाति जनसंख्या 1,22,33,474 है। जो कि प्रदेश की कुल जनसंख्या (6,03,48,023) का 20.3 प्रतिशत है। म.प्र. की 6 प्रमुख अनुसूचित-जनजाति गौंड, **बैगा,*** भील, कोरकू, कोल, सहारिया इत्यादि। इन जिलों में जनजाति जनसंख्या ज्यादा संख्या में है।

तालिका 1.4

सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाले जिले

क्र.	जिला	जनजाति संख्या प्रतिशत
1.	झाबुआ	86.81
2.	बड़वानी	67
3.	**डिण्डौरी***	64.5
4.	मण्डला	57.2
5.	धार	54.2
6.	बालाघाट	21.8

स्तोत्र : विकास संवाद, भोपाल (म.प्र.)

वह जनजातीय जिले जो अपना कुल साक्षरता दर ज्यादा दिखाते है वास्तविकता में वहाँ प्राइमरी शिक्षा से ऊपर बहुत कम है। और कुल जनजाति जनसंख्या के 10.8 प्रतिशत ऐसी है जो शिक्षित तो है पर उसका कोई स्तर नहीं है। कुल 41.6 प्रतिशत शिक्षित जनसंख्या में 45 प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी स्तर से कम शिक्षित है। ऐसी स्थिति में सवाल यह उठता है कि क्या 46.5

प्रतिशत जनजाति को पढ़ा-लिखा और शिक्षित माना जा सकता है? कुल 35.1 लाख 5 से 14 साल उम्र के जनजाति बच्चों में से लगभग 54 प्रतिशत जनजातीय बच्चे अभी भी स्कूल से बाहर है। लड़कियों की शिक्षा का स्तर कुल जनजाति की शिक्षा की तुलना में बहुत कम है।

(iii) मध्यप्रदेश में बैगा शाला जाने वाले एवं शालात्यागी बालक-बालिकाओं का शिक्षा के लिए संघर्ष :

कुल 41 प्रतिशत जनजाति साक्षरता की तुलना में केवल 28.4 प्रतिशत जनजाति लड़कियां ही शिक्षित है। बैगा जनजाति की लड़कियाँ का शैक्षिक प्रतिशत बहुत ही कम है। सिर्फ 20.1 प्रतिशत बैगा जाति की लड़कियाँ ही शिक्षित है।

शालात्यागी बच्चो की संख्या, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की तुलना में ज्यादा है। इससे पता चलता है कि बच्चे स्कूल में नामांकन तो करा लेते है पर विभिन्न कारणों से अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाते है और बहुत ही शुरूआती स्तर में शाला छोड़ दते है। शालात्यागने की संख्या में भी लड़कियों का प्रतिशत (61.1प्रतिशत), लड़कों की तुलना में (47.7 प्रतिशत) ज्यादा है। जनजाति जनसंख्या का 10 प्रतिशत (1,22,33,47.4) ही प्राइमरी से ऊपर शिक्षित है। अनुसूचित-जनजाति में बैगा-जनजाति का शिक्षा स्तर बहुत नीचे है। केवल 26 प्रतिशत बैगा ही प्राथमिक स्तर तक शिक्षित है। और 0.1 प्रतिशत कुल जनसंख्या का अनुसूचित-जनजाति ही तकनीकी एवं गैर तकनीकी डिप्लोमा प्राप्त कर पायी है। अनुसूचित-जनजाति की 57.3 प्रतिशत साक्षरता बिना किसी शिक्षा के स्तर की शिक्षा प्राप्त किये है। केवल 6.6 प्रतिशत शिक्षित ही माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक तक शिक्षा प्राप्त किये है। और सिर्फ 1.4 प्रतिशत ही स्नातक की है। जबकि गैर तकनीकी एवं तननीकी डिप्लोमा धारक केवल न के बराबर है।

Table 1.5

Levels of Education among the Major Scheduled Tribl in MP

Name of STs	Literate without educational level	Below Primery	Education Level attained				
			Primary	Middle	Matri/ Secondary / Intermediete	Technical non Techial Diploma	Graduate and above
All Sts	10.8	46.5	24.8	9.7	6.6	0.1	1.4
Bhil	15.5	47.1	21.2	8.2	6.3	0.1	1.6
Gond	8.4	45.0	27.4	10.9	7.0	0.1	1.2
Kol	7.2	47.1	26.9	11.4	6.6	0.0	0.6
Korku	10.1	56.0	22.9	6.8	3.6	0.0	0.5
Sbhariya	15.4	62.2	16.1	4.0	1.8	0.1	0.5
Baiga*	11.4	50.4	26.0	8.3	3.4	0.0	0.5

(iv) शिक्षा की व्यवस्थायें और सुविधाएँ : वास्तविकता

मध्यप्रदेश, अनुसूचित-जनजाति में शिक्षा की प्रवृत्तियाँ प्रदेश की शिक्षा प्रणाली की बहुत ही धुँधली तस्वीर प्रस्तुत करती है। रिकार्ड देखने से पता चलता है कि प्राथमिक स्तर के बाद ड्रापआउट्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अक्सर यह माना जाता है कि जनजातियाँ अस्थिर निवासी होते है और अपने, जीवन यापन की खोज में एक जगह से दूसरे जगह घूमते-फिरते है इसलिए इन्हें अपनें बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जनजाति छात्र जो कि पढ़ना चाहते हैं उनकी मुख्य परेशानी उनकी शिक्षा की सुविधाओं के पहुँच से दूर है। इसलिए जनजाति जगहों पर अच्छी शिक्षा को अग्रसर करना बहुत जरूरी है।

Table 1.6

All India Rank of M.P. at Primary. UPR Primary Level

All India Rank of M.P. at Primary UPR Primary level as per Education Development Index (2006-2007)		
	Primary level	upper primary
Access	8th	20th
Infrastructure	26th	27th
Teachers	33rd	33rd
out comes	25th	24th
Overall Edi	31st	31st
Combined primary and primary	30th	-

मध्यप्रदेश प्रायमरी स्तर की शिक्षा में 26वें और प्रायमरी स्तर से ऊपर की शिक्षा में 27वें स्थान पर आता है। खासकर पिछड़े–जनजाति इलाकों में Upr. Primary की शिक्षा का स्तर चिन्ता का विषय है। प्रदेश में 55,393 गांव के लिए सिर्फ 25,884 माध्यमिक स्कूल है। अर्थात 21 गांव के लिए सिर्फ एक माध्यमिक स्कूल है और दो गांव के बीच की दूरी 5.56 कि.मी. है। इसी तरह प्रदेश में सिफ 9,144 उच्चतर माध्यमिक स्कूल है। प्रत्येक उच्चतर–माध्यमिक स्कूल 6.05 गांव के छात्रों को संग्रहण करता है। **Education development Index (2007-2008) के अनुसार** "मध्यप्रदेश प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में 30वें स्थान पर है।"

सर्वशिक्षा का अभियान का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित–जाति/जनजाति के बच्चों को स्कूल में प्रवेश कराना है जबकि अच्छी शिक्षा को नाकार दिया गया इसका कारण प्राथमिकस्तर में बच्चों की GER (Gross Enrollment ration) बहुत तेजी से बढ़ा। जैसे कि 2005–06 में 129.76 प्रतिशत एवं 2006–07 में 143.58 प्रतिशत **DISE Report** के अनुसार "इससे शिक्षा के परिणाम बहुत तेजी से नीचे गिरे।"

मध्यप्रदेश के शिक्षा का परिणाम 2005–2006 में 12वें स्थान से 2006–2007 में 25वें स्थान पर पहुँच गया। 22.12 प्रतिशत स्कूलों में सिर्फ

एक ही अध्यापक है। जो कि 13.67 प्रतिशत विद्यार्थी को शिक्षा देते है। इसके अलावा High Dropout को रोकने के लिए और उन्हें पढ़ाई चालू रखने के लिए किसी भी प्रकार के कदम नहीं उठाये गये है। लेकिन प्राइमरी और Uper Primary स्तर ऊँचे Dropout rates से प्रदेश के सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कराने की जिम्मेदारी का पता चलता है। Dropout की दर Primary स्कूल में 15.6 प्रतिशत और मिडिल स्तर पर 14.7 प्रतिशत है। यह Dropout की दर लड़कियों में बढ़कर 17प्रतिशत हो जाती है। 73.57 प्रतिशत स्कूलों में लड़कियों के शौचालयों की व्यवस्था न होने की लड़कियों के Dropout की दर का एक मुख्य कारण है।

(v) शिक्षा में जनजातियों का बहिष्कार और ड्रापआउटसः

सामाजिक बहिष्कार किसी व्यक्ति या समूह का किसी सामाजिक कार्य से दूर रखना है। शिक्षा से बच्चों का सामाजिक बिहष्कार उनके शिक्षा के अधिकारों का उल्लंघन है शिक्षा में सामाजिक बहिष्कार बच्चों के भविष्य निर्माण में एक बहुत बड़ी बाधा है। भारत का संविधान शिक्षा में समानता का अधिकार देता है।

संविधान का अनुच्छेद 21A "हर बच्चे को 14 साल की उम्र तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है।" और अनुच्छेद 28 के अनुसार "प्रादेशिक पार्टियाँ बच्चों के शिक्षा को अधिकार को मानती है। और इसी के तहत प्राथमिक शिक्षा सभी को मुफ्त और अनिवार्य प्रदान करती है।" और माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देना और उन्हें प्रत्येक बच्चे की पहुँच में होनी चाहिए इसके निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए–

1. मुफ्त शिक्षा
2. जरूरतमंद बच्चों को आर्थिक सहायता
3. नियमित उपस्थिति को स्कूलों में बढ़ावा
4. Dropout दर को कम करना

सर्वशिक्षा अभियान का निर्माण बच्चों की शिक्षा के अधिकार को बचाना और सर्वशिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया गया है पर वास्तविकता में सर्वशिक्षा को प्राप्त करना अभी पिछड़े–जनजाति छात्र कई स्तरों पर बहिष्कार का सामना करते हैं। बजाय इसके कि जनजाति विद्यार्थियों को पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया जाये, उन्हें स्थानीय स्तर पर अध्यापकों और उच्च–जाति के वर्गो द्वारा हतोउत्साहित किया जाता है। जनजाति के बुरे शिक्षा के स्तर का कारण पता करने के किए गए विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि दूरदराज जनजाति जगहों पर शिक्षा का वर्तमान Scenario ही Primary और Uper Primary स्तर पर ऊँचे Droput दर के लिए जिम्मेदार हैं। जनजाति और दलित बच्चों को उच्च जनजातियों के बच्चों से दूर बैठने के लिए मजदूर किया जाता है और अध्यापक भी उनकी शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं। जनजाति छात्रों को पढ़ाई के स्थान पर स्कूल की सफाई, बर्तन धोना जैसे कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है वे पढ़ाना चाहते है उन्हें अध्यापकों द्वारा यह कर हतोउत्साहित किया जाता है कि "वे जनजाति है सो पढ़ नहीं सकते" इस तरह के स्कूल में भेदभाव से जनजाति विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ देते हैं। उच्च जाति के अध्यापक सिर्फ अमीरों और उच्च जाति के छात्रों पर ध्यान देते है और दलित और जनजाति विद्यार्थियों को जब तक डांटते रहते हैं वे इस मनोज्ञान से पढ़ाते हैं, जबकि दलित और जनजाति बच्चों को दिमागी स्तर कम होता है। यहाँ तक कि जनजाति और दलित अध्यापक भी अनदेखी कर देते है।

अध्यापक जनजाति बच्चों के माता–पिता पर आरोप लगाते है। कि वे अपने बच्चों के गृह कार्य पर ध्याननहीं देते है और आदतें नहीं सिखाते अध्यापक यह भी कहते है कि उनके माता–पिता शराब का सेवन करते हैं। जिससे घर में पढ़ाई का माहौल खराब होता है। लेकिन शराब पीना जनजाति संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। और इसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन अनपढ़ माता–पिता किस प्रकार अपने बच्चों के गृहकार्य में मद्द कर सकते हैं। सिर्फ अध्यापक और स्थानीय समाज ही जनजाति को शिक्षा से बहिस्कारित नहीं करते है बल्कि पूरे

सर्वशिक्षा अभियान से बहिष्कृत किया गया है। जनजाति क्षेत्रों में न सिर्फ सुविधाओं और व्यवस्थाओं की कमी है। बल्कि असली समस्या शिक्षा के पाठ्यक्रम विषयवस्तु है। स्कूल का समय और उनकी जीवनशैली में बहुत ही अंतर शिक्षा की भाषा जनजाति के बच्चों की समझने में समस्यायें आती है। सभी स्कूलों का समय एक जैसा है। लेकिन जनजातियों की अपनी जीवनशैली है। ज्यादातर जनजाति और दलित बच्चे दिन में स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि दिन में वे रोजी रोटी कमाने के लिए काम करते है या फिर अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखते हैं। वार्षिक परीक्षायें अप्रैल और मई महीनों में होती है। जबकि जनजाति दूसरे गांव में पलायन करके खेतें में काम (मजदूरी) करते हैं। इसीलिए ज्यादातर बच्चे परीक्षा नहीं दे पाते। ड्रापआउटस का दूसरा कारण शिक्षा के माध्यम में है ज्यादातर बच्चे हिन्दी बोलने और समझना मुश्किल महसूस करते हैं। और बैगा भाषा में बहुत फर्क है। बैगा–जनजाति के बच्चे हिन्दी भाषा बोलने और समझने में असहज होते है जबकि इन्हें हिन्दी भाषा में ही पढ़ाया और परीक्षा ली जाती है। इसीलिए वे स्कूल में जानेसे घबराते है और अगर जाते भी हैं तो कक्षा में चुपचाप बैठे रखते हैं।

➢ **मानव संसाधन विकास मंत्री कपित सिब्बल की 100 (सौ) दिन की कार्य सूची और ट्राईबल शिक्षा–**

Unioun Development Minister Mr. Kabil Saibal का 100 दिन का कार्य सूची कार्यक्रम भारत के शिक्षा अभियान में हस्तांतरण की राह पर है जो कि भारत के Education Sector में निजी पूँजी को प्रेरित कर रहा है। जिससे सरकार की सर्वशिक्षा की जिम्मेदरी को पीछे धकेल रहा है। बड़े उद्योगपति अपने फायदें में लगे हुए है और देश में शिक्षा का स्तर गिर रहा है। स्थिति यह है कि Public- Private Partnership (PPP) सरकार के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लक्ष्य को पूरा कर पाती है या नहीं दूसरा HRDminister ने दसवीं बोर्ड परीक्षा

को विकल्पिक करने का प्रस्ताव रखा है। दसवीं बोर्ड परीक्षा तभी अनिवार्य होगी। जब विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है।

Senior Educationist Dr. Anil Sadgopal के अनुसार भारत में 62 प्रतिशत विद्यार्थियों को हाई स्कूल छोड़ना पड़ता है जो कि दलितों में 70 प्रतिशत और ट्राईबल में 80 प्रतिशत तक बढ़ जाता है। कक्षा एक में पंजीकृत बच्चे-बच्चों में से केलव 6 प्रतिशत ट्राईबल विद्यार्थी बाहरवीं तक शिक्षा कर पाते हैं। आगे दसवीं बोर्ड परीक्षा का प्रमाणपत्र दलित और जनजाति को आई.टी.आई. या अन्य नौकरी के लिए बहुत आवश्यक है। दसवीं बोर्ड परीक्षा को हटाने से दलित और जनजाति के सारे दरवाजे बंद हो जायेंगे। 100 दिन की कार्यसूची देश में समान शिक्षा के बारे में कहती है जिसके अनुसार 10+2 तक भारत में एक बोर्ड तक और एक कोर्स होना चाहिए परन्तु समान शिक्षा में बहुत सारी खांमिया है जो कि लोंकल और Regeonal inputs के कोर्स की उपेक्षा करता है। क्योंकि हर प्रदेश की अपनी ऐतिहासिक, समाजिक, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक विशेषताऐं है। इसका जनजाति बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और वो अच्छे बच्चों से प्रतिस्पर्धा के युद्ध में पीछे हो जायेंगे। सभी प्रदेश के बच्चो के लिए उनकी स्थानीय भाषा अनिवार्य होनी चाहिए जिससे कि वो स्थानीय साहित्य में मजबूत हो सके। शिक्षा में संशोधन अनिवार्य है, पर यह पूरे देश में एक समान नहीं होना चाहिए। प्रादेशिक इतिहास और सांस्कृतिक का सम्मान होना चाहिए।

प्रादेशिक शिक्षा सम्मिलित करने के लिए कोर्स का विकास करने के लिए शिक्षकों का योदान बहुत जरूरी है। ज्यादातर शिक्षक किताबों के विषय को ही कोर्स मानते है। संक्षिप्त किताबों की कठिन और यांत्रिक पढ़ाई बच्चों को शिक्षा की उपयोगिता से वांछित कर रही है। जबकि-दलित और जनजाति बड़े पैमाने पर शिक्षा के अधिकार से वांछित है फिर भी सरकार उनकी शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। और शिक्षा की निजीकरण करने में जुटी है।

यह बहुत ही साफ देखा जा सकता है कि UNION BUDGET 2009-10 में स्कूल शिक्षा के लिए एक रुपये की भी बढ़ोत्तरी नहीं हुई और 2008-09 की तरह अभी भी यह 26,800 करोड़ है। ऐसे ही सर्व शिक्षा अभियान में भी कोई संशोधन नहीं हुआ है। जनजाति जगहों की शिक्षा सुविधओं को Welfare department बजट में जोड़ दिया गया है। लेकिन यह बजट जनजाति के विद्यार्थियों को बड़े पैमाने पर फायदा नहीं पहुँच पा रहा है।

Table 1.7

Union Budged comparative Chart (2008-09)

Union Budged comparative Chart		
Budeged Head	**2008-09 (In Crore Rs.)**	**2009-10 (In Crore Rs.)**
School Education	26800	26800
SC & ST Welfare	805	805
Mid Day Meal	8000	8000
Sarva Siksha Abhiyan	13100	13100

(vi) निष्कर्ष : मध्यप्रदेश के प्रमुख जिलों मे जैसे कि झाबुआ, मण्डला, बड़वानी, डिण्डौरी, धार इत्यादि में सुविधाओं और संसाधनों को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। स्थानीय शिक्षकों की नियुक्ति करने का बढ़ावा देना चाहिए और इन्हें स्थानीय-भाषा का इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिससे कि वे जनजाति बच्चों को शिक्षा के लिए जागरूक कर सकें यह और भी जरूरी है कि सरकार हर 3 किलोमीटर पर एक माध्यमिक स्कूल की स्थापना करें। भारत सरकार ने मध्यप्रदेश के 37 जिलों के 595 स्कूलों को माध्यमिक स्कूल तक Upgrade कर दिये है। हालाँकि यह Upgration बहुत ही अच्छी Planning और सावधानी के साथ की जानी चाहिए।

मध्यप्रदेश में अलग-अलग जनजातियों समूह बहुत ज्यादा है लेकिन शिक्षा और स्कूली व्यवस्था, जनजाति सभ्यता से काफी अलग है। जिससे वे शिक्षा में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते है। जबकि हम उनकी सभ्यता, भाषा, सामाजिक

क्रियाकलाप का सम्मान नहीं करते तब तक जनजाति के बच्चों का ड्रापआउट रेट को रोकना एक सुनहरा सपना ही रहेगा।

1.11 शोध कथन :-

"बैगा-जनजाति की शिक्षा में आने वाली कठिनाईयाँ: एक अध्ययन"

1.12 शोध प्रश्न :-

1. बैगा-जनजाति की शिक्षा के प्रति मानसिकता क्या हैं?
2. बैगा-जनजाति की शिक्षा में आने वाली क्या कठिनाईयाँ हैं?
3. शैक्षिक सुविधाओं के बारे में बैगा-जनजाति क्या सोचती है?
4. शिक्षा एवं विकास के संबंध में बैगा-जनजाति का क्या दृष्टिकोण है?
5. शिक्षा एवं भविष्य के संबंध में बैगा-जनजाति की क्या विचारधारा है?

1.13 शोध उद्देश्य :-

1. बैगा-जनजाति की संस्कृति का अध्ययन करना।
2. बैगा-जनजाति के शैक्षिक-विकास हेतु चलाई जा रही शिक्षा योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन करना।

1.14 शोध समस्या की आवश्यकता :-

आदिवासी हमारी प्राचीन संस्कृति के पोषक हैं जिन्हें हम **'वनपुत्र'** **'वनवासी'** की संज्ञा दी गई है। यह वर्ग आज समाज की मुख्य धारा से पिछड़ा हुआ है सरकार द्वारा इनके विकास हेतु अनेक शैक्षिक योजनाएँ संचालित की जा रही है, "शिक्षा का अधिकार" दिया गया हैं किन्तु इन सबके पश्चात् की भी इनकी सामाजिक एवं शैक्षिक उन्नति में इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका जिसकी की आशा की जाती रही है।

अतः बैगा-जनजाति को शिक्षा प्राप्त करने में कौन-कौन सी कठिनाईयाँ आती है? शासन द्वारा निर्धारित योजनाएँ इनके शैक्षिक विकास में किस सीमा तक सफल हुई, जानने के लिये शोध समस्या "बैगा-जनजाति की शिक्षा में आने वाली कठिनाईयाँ: एक अध्ययन" की आवश्यकता देखते ही बनती है।

➢ शोध में प्रयुक्त शब्दावलीः–

शोधार्थी द्वारा शोध समस्या " बैगा जनजाति की शिक्षा में आने वाली कठिनाईयाँः एक अध्ययन" जिसमें–

1. बैगा–जनजाति से तात्पर्य–

शहरी सभ्यता से दूर जंगलों, पर्वतों, घाटियों तथा दुर्गम स्थानों में निवासित होती है। जिसका अपना राजनीतिक संगठन होता है, अपनी निश्चित भाषा होती है। ये स्वाभावतः शर्मीले व कुशल शिकारी एवं वैद्य होते है ये जादूटोना, भूतप्रेत में विश्वास करते हैं इनका मुख्य भोजन कोदो कुटकी है।

2. शिक्षा में आने वाली कठिनाईयाँः–

- बैगा–जनजाति की अपनी प्राचीन संस्कृति है। अतः ये शहरी संस्कृति से जुड़ना नहीं चाहते।
- बैगा–जनजति के व्यक्ति अत्याधिक शर्मीले होते है इस कारण ये विद्यालय में शिक्षक व अन्य छात्रों के साथ सामंजस्य नहीं बना पाते इस कारण ये अशिक्षित है।
- चूँकि बैगा–जनजाति का निवास स्थान सुदूर जंगलों, घाटियों एवं दुर्गम स्थानों पर होता है। इसलिए ये आवागमन के साधनों के अभाव के कारण स्कूल नहीं जा पाते।
- बैगा–जनजाति की अपनी निश्चित भाषा होती हैं। अतः हिन्दी उनकी समझ में नहीं आती।
- चूँकि बच्चों (बैगाजाति) पूर्णतः प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। अतः निर्धनता के कारण बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं।
- बैगा–जनजाति के बच्चे आसानी से उपलब्ध होने वाले मजदूर है।
- समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, लालफीताशाही, भाई भतीजावाद के कारण योजनाओं का क्रियान्वयन सफल न होना।
- शिक्षा के प्रति जागरूकता के आभाव के कारण।

1.15 शोध समस्या सीमांकन :

1. मध्यप्रदेश के जिला डिण्डौरी के 7 विकासखण्ड में से **समनापुर विकासखण्ड** के बैगा गांव पौड़ी, कमको, समर्धा, पिपरिया को लिया गया है।
2. यह शोध शाला जाने वाले एवं शाला त्यागी बालक–बालिकाओं व उनके माता–पिता तक ही सीमित होगा।